न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—44/2008 राजस्व वाद
श्री भैरूलाल पिता सोदान सिंह राव, उम्र बालिग निवासी रावों का खेड़ा मजरा धुवाला तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ———प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—91—92 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितः—

1—श्री श्यामलाल वैद्य, — एडवोकेट—वादी

:: नि र्ण य :: दिनांकः—14.6.2019

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—91—92 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम धुंवाला (मांडल) तहसील मांडल व जिला भीलवाड़ा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 136 के रकबे में से 5 बीघा भूमि वादी को दिनांक 27.6.1976 को प्रतिवादी की भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित होकर दिनांक 28.6.1976 को राजस्व कर्मियो द्वारा पैमूद कर वादी को सिपुर्द की गयी थी। वादी निरन्तर काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा हैं। वादी के नाम गैर खातेदारी हक से इन्द्राज किया गया था। गत राजस्व रेकार्ड के खसरा अनुसार बिलानाम आराजी नम्बर 136 का कुल रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा था। जिसमें से 30 बीघा भूमि काश्तकारों को भू—आवंटित हो जाने से सम्वत् 2032 तक बिलानाम भूमि आराजी नं. 136 का कुल रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा ही शेष रहा था। मांडल तहसील क्षैत्र का प्रतिवादी राजस्थान राज्य के अधिनस्थ भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमियों का सेटलमेंट जारी था और मांडल तहसील का नवीन राजस्व रेकार्ड बनाने का कार्य जारी था। इस दौरान ग्राम धुंवाला (मांडल) तहसील का नवीन राजस्व रेंकार्ड बनाने का कार्य जारी था। जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 तक बनी हुई थी। नवीन राजस्व अभिलेख आने तक निरन्तर चालू थी। इसी दौरान दिनांक 27.6.1976 को वादी को बिलानाम गत आराजी नम्बर 136 में से 5 बीघा भूमि भू—आवंटित होकर राजस्व कर्मियों द्वारा पैमूद कर सिपुर्द की गयी। तद्नुसार 1976 को कोरेसपोंडिग सम्वत् 2032 था। वादी भू—आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। नवीन नक्शा प्रतिवादी द्वारा बनाया गया था, उसके अनुसार जिस आराजी में वादी को जहॉ भू—आवंटन हो पैमूद किया गया था। उसकी दक्षिणी सीमा ग्राम दांताकंला से सटीहुई है और इसी मुताबिक साबिक राजस्व नक्शा में वही स्थिति थी। वर्तमान मूर्तिब किये गये नवीन राजस्व नक्शा में दर्ज आराजी नम्बर 537 की पूर्वी सीमा से सटे हुये भू—भाग पर माफिक भू—आवंटन के वादी काबिज हैं। नवीन आराजी नम्बर 537 के खसरा पत्रक अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। मौका रिपोर्ट दिनांक 12.4.2019 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम की गयी जो इस प्रकार है:–

1– आया वादी वादनुसार प्रतिवादी के विरूद्व ग्राम धुवांला (मांडल) तहसील मांडल की नवीन आराजी नम्बर 537 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का साबिक रेकार्ड अनुसार वादी के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज कराने व घोषणा कराने का अधिकारी है? ———वादी

2– आया वादी को प्रतिवादी उक्त आराजी से बेदखल न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पांबन्द कराने का अधिकारी है? ———वादी

3– आया वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है? —————प्रतिवादी

4– अनुतोष ।

वादी अपने वाद पत्र तथा जिम्में की तनकियात के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र, हाल नक्शा ट्रेस की नकल ई.एक्स. 12, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2064 से 2067 की नकल ई.एक्स. 13, 14, 15, 16, 17, 18, रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 जा0दी0 के नोटिस की नकल ई.एक्स.19, प्राप्ति रसीद ई.एक्स. 20, आवंटन आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति ई.एक्स.1, सिपुर्दगी नामा की प्रमाणित प्रति ई.एक्स.2, आवटंन आदेश की प्रमाणित प्रति ई.एक्स.3, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति ई.एक्स4, खसरा गिरदावरी की नकल प्रमाणित प्रति ई.एक्स.5, 6, हाल नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकल ई.एक्स. 7, 8 9, की नकले, खसरा मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति ई.एक्स. 10, की नकले, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2021 से 2024 की प्रमाणित प्रति ई.एक्स. 11 की नकले प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किये गयें। वकील वादी द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र एवं जिम्में की तनकियात की ताईद में गवाह श्री भैरूलाल पिता सोदानसिंह राव पी.डब्लू. 1 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

प्रतिवादी की ओर से वादी के वाद पत्र के खण्डन में न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, और न ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किये जाने से दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों, साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

जबकि पेरोकार सरकार ने वाद पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवावदावे के आधार पर वादी के वादपत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय इस प्रकार पारित किया गयाः—

तनकी नम्बर 1:—

———————'' आया वादी वादनुसार प्रतिवादी के विरूद्व ग्राम धुवांला (मांडल) तहसील मांडल की नवीन आराजी नम्बर 537 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का साबिक रेकार्ड अनुसार वादी के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज कराने व घोषणा कराने का अधिकारी है, इस तनकी को सिद्व कराने का जिम्मा वादी पर था। विवादित आराजियात ग्राम धुवालां (मांडल) तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर बिलानाम दर्ज रेकार्ड थीं। भैरूलाल पिता सोदानसिंह राव को साबिक आराजी नम्वर 136/4 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई। मिसल नम्बर 1340/1976 के द्वारा साबिक आराजी नम्बर 136 में से 5 बीघा भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2021 से 2024 ई.एक्स. 11 से होती है। साबिक आराजी नम्बर 136 के हाल 700 रकबा 16 बीघा कायम हुये हैं। जो बिलानाम दर्ज रेकार्ड हैं। साबिक आराजी नम्बर 137 मी. के हाल नम्बर 537 रकवा 14 बीघा 13 बिस्वा कायम हुये है जो बिलानाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति ई.एक्स. 10 से होती हैं। साबिक आराजी नम्बर 136/4 का आवंटन वादी के पक्ष में हुआ । जिसकी ताईद प्रस्तुत नक्शा ट्रेस ई.एक्स. 4, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति ई.एक्स.3, सिपुर्दगी नामा की प्रमाणित प्रति ई.एक्स. 2 आवंटन आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति ई.एक्स1 से होती हैं। जिसमें साबिक आराजी नम्बर 136 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन वादी को किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि हाल आराजी नम्बर 537 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा साबिक नम्बर 136 से बनना नहीं पाया जाता हैं। वादी द्वारा जिस आराजी नम्बर यानि आराजी नम्बर 537 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया है तथा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की दादरसी चाही गयी है इस बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य से ताईद नहीं होना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मांडल ने विवादित आराजियात बाबत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भी स्पष्ट अंकित किया है कि साबिक आराजी नम्बर 136 के हाल नम्बर 700 बना है व हाल आराजी नम्बर 537 रकबा 3 बीघा भूमि पर काश्त न होकर पशु चरते हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से होती हैं। इस प्रकार यह तनकी वादी के विरूद्व तथा प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

तनकी नम्बर 2:—

——————— '' आया वादी को प्रतिवादी उक्त आराजी से बेदखल न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पांबन्द कराने का अधिकारी है इस तनकी को सिद्व कराने का जिम्मा वादी पर था। जैसाकि तनकी नम्बर 1 के विवेचन के द्वारा ही सिद्व हो गया है कि वादी जिस आराजी बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया, तथा वाद पत्र में विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आराजी पर कब्जा होकर काश्त करना बताया गया हैं। उसकी ताईद न तो मौखिक साक्ष्य से होती है और न दस्तावेजी साक्ष्य से होती हैं। क्योंकि तहसीलदार मांडल की मौका रिपोर्ट के अनुसार न तो आराजी नम्बर 537 पर कब्जा काश्त ही है और न ही वादी के नाम ही दर्ज रेकार्ड हैं। ऐसी स्थिति में यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी नम्बर 3:–

_________" आया वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है इस तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा प्रतिवादी पर था। क्योंकि वादी के पक्ष में कोई तनकी सिद्ध नहीं हुई है तो वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता हैं। ऐसी स्थिति में यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर समस्त तनकियात वादी के विरूद्ध निर्णित होने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता हैं । खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 14.6.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / सी०पी०सी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

बईजलास श्री कृष्णपाल सिंह चौहान (आर०ए०एस०)

अनवान प्रकरण

श्री भैरूलाल s/o श्री सोदान सिंह राव निवासी - रावो का खेड़ा मजरा दुगाला तहसील - मा०डल

वादी

बनाम

श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89-91 -92, 188 मुकदमा नं० / वर्ष 45/08 निर्णय दिनांक 14-6-19 यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल वैद Adv मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अत: वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

आज तारीख 14-6-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला-भीलवाड़ा